सहसंचालक उच्चशिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर
जुने मॉरिस कॉलेज इमारत, नागपूर
क्रमांक : उशिनाग/पदमान्यता/ 939 /२०१९
दिनांक :- ८/०९/२०१९

प्रति,

प्राचार्य,
विद्यासागर महाविद्यालय
खैरी, ता. रामटेक, जि. नागपूर

विषय : **दि. ०१.१०.२०१७ च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांची अनुज्ञेयता. (२०१७-१८)**

संदर्भ :- १. शासन निर्णय यु.एस.सी/११७८/२५२५१/रोमन-३२ सेल, दिनांक १९.६.१९७८
२. एनजीसी २०८०/१६०२८४(५९८७)/युएनआय-२, दिनांक ०१.०६.१९८१
३. शासन निर्णय क्रमांक एनजीसी/१२८६/(१२२४)/विशि-४, दिनांक २७.२.१९८९
४. शासन निर्णय क्रमांक बीजीटी/१०९७/प्र.क्र.२४/अ/अर्थसंकल्प-१९, दिनांक १५.१२.१९९८
५. शासन निर्णय क्रमांक असक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१
६. शासन निर्णय क्रमांक युएसजी/१०९३/(५९१८)/मशि-२, दिनांक १७.५.१९९४
७. शासन निर्णय क्रमांक एनजीसी/२२९९/(४७९५)/विशि-४, दिनांक २६.८.१९९९
८. शासन निर्णय क्रमांक असक-१००१/प्र.क्र.२९/(भाग-३)/२००२/वित्तिय सुधारणा, दिनांक ९.१.२००३
९. शासन निर्णय क्रमांक असक-१००१/प्र.क्र.२९/(भाग-६)/२००२/वित्तिय सुधारणा, दिनांक १.७.२००४
१०. शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२००७/प्र.क्र.१२९/०७/१२, दिनांक २७.८.२००७
११. शासन परिपत्रक एनजीसी-२०१०/(४१५/१०)/विशि-१, दिनांक ७.९.२०११
१२. शासन निर्णय संकिर्ण-२०११/(४०४/११)/विशि-१, दिनांक १९.१०.२०११
१३. शासन निर्णय क्रमांक आढावा-१५१३/प्र.क्र.१२५/मशि-५, दिनांक ३.११.२०१८
१४. प्राचार्य,..... यांचे पत्र क्र....., दिनांक ..... प्राप्त.

.उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की, संदर्भ क्र. १४ नुसार प्राप्त झालेल्या प्रस्तावातील आपल्या महाविद्यालया तील दि. ०१.१०.२०१७ च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर विषयनिहाय विद्याशाखा निहाय कार्यभार तपासण्यात आला. शासनाने निश्चित केलेल्या मानकानुसार कार्यभाराची परिगणना करुन खालील अटींच्या अधिन राहून आपल्या महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहेत.

## प्रपत्र अ (शिक्षकीय पदे)

| .अ.क्र. | विषय | विद्यार्थी संख्या | एकूण कार्यभार तासीकांमध्ये | एकूण अनुज्ञेय पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | .अतिरिक्त पदे | सहयोगी प्राध्यापक | .अभिप्राय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| १ | प्राचार्य | ३५६ | ५ | १ | १ | ० | | | |
| २ | शारीरिक शिक्षक निर्देशक | ३५६ | | १ | १ | ० | | | |
| ३ | ग्रंथपाल | ३५६ | | १ | १ | ० | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **कला शाखा** | | | | | | | | |
| १ | इंग्रजी व इंग्रजी वाडमय | ३५६ | ४८ | २ | २ | ० | | | |
| २ | मराठी, मराठी वांडमय | ३५६ | २७ | १ | १ | ० | | | |
| ३ | गृह अर्थशास्त्र | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| ४ | .अर्थशास्त्र | १९० | १५ | १ | १ | ० | | | |
| ५ | राज्यशास्त्र | १८६ | १५ | १ | १ | ० | | | |
| ६ | भुगोल | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| ७ | इतिहास | २४२ | १५ | १ | १ | ० | | | |
| ८ | संस्कृत व संस्कृत वाडमय | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| ९ | समाजशास्त्र | २०१ | १५ | १ | १ | ० | | | |
| १० | पाली | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| ११ | आंबेडकर विचारधारा | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| १ | **वाणिज्य** | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| | **विज्ञान शाखा** | | | | | | | | |
| १ | गणित | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| २ | रसायनशास्त्र | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| ३ | भौतिकशास्त्र | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| ४ | वनस्पतीशास्त्र | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| ५ | प्राणिशास्त्र | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| ६ | इलेक्ट्रानिक्स | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| ७ | भुगर्भशास्त्र | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| ८ | सुक्ष्मजिवशास्त्र | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| | **एकूण** | **०** | **०** | **१०** | **१०** | **०** | | | |

सहसंचालक, उच्चशिक्षण
नागपूर विभाग, नागपूर

वर्गवार कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील (अनुदानित) विद्यार्थी संख्या खालीलप्रमाणे आहे.

| .अ.क्र. | **कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय** | **विद्यार्थीसंख्या** |
|---|---|---|
| १ | कनिष्ठ (वरिष्ठ महाविद्यालयास संलग्नीत असल्यास) व वरिष्ठ महाविद्यालय | ० |
| | कनिष्ठ महाविद्यालय | ० |
| | वरिष्ठ महाविद्यालय | ३५६ |
| | एकूण | **३५६** |
| २ | विज्ञान विद्याशाखा असल्यास त्यातील विद्यार्थी संख्या | ० |
| | **एकूण** | **३५६** |

सहसंचालक, उच्चशिक्षण
नागपूर विभाग, नागपूर

**संवर्गनिहाय शिक्षकेत्तर कर्मचारी**

| .अ.क्र. | पदनाम | .अनुज्ञेय पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | प्रबंधक | ० | ० | ० | |
| २ | .अधिक्षक | ० | ० | ० | |
| ३ | मुख्य लिपीक | १ | १ | ० | |
| ४ | कनिष्ठ लघुलेखक | ० | ० | ० | |
| ५ | सहाय्यक ग्रंथपाल | ० | ० | ० | |
| ६ | वरिष्ठ लिपीक | १ | १ | ० | |
| ७ | कनिष्ठ लिपीक | १ | १ | ० | |
| ८ | प्रयोगशाळा सहाय्यक | ० | ० | ० | |
| ९ | ग्रंथालय लिपीक | ० | ० | ० | |
| १० | ग्रंथालय परिचर | १ | १ | ० | |
| ११ | प्रयोगशाळा परिचर | ० | ० | ० | |
| १२ | शिपाई | ४ | ४ | ० | |
| | एकूण | ८ | ८ | ० | |

**(टिप :- शासन निर्णय दिनांक ०३.११.२०१८ नुसार पदांची अनुज्ञेयता ठरवितांना, पदांचा आढावा अंतिम झाला नसल्याने सदर अनुज्ञेय पदे अंतिम नाहीत हे आपणास निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे.)**

१ प्रस्तुतचा कार्यभार आपल्या महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या अनुदानित विद्याशाखा/तुकडया/विषय व प्रवेशित विद्यार्थी संख्या विचारात घेवून परिगणित होणारा कार्यभार अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे.

२ महाविद्यालयाने पदनिश्चितीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद केलेल्या विद्याशाखा/तुकडया/विषय व विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या विद्यार्थीसंख्येची प्रत्यक्ष महाविद्यालयात पटनोंदणी अनिवार्य आहे.

३ .अनुदानासाठी अनिवार्य असलेली विद्यार्थीसंख्या व कार्यभार परोगणनेसाठी कमाल विद्यार्थी संख्या विचारात घेण्यात यावी.

४ प्रात्यक्षिकांसाठी शासन नियमानुसार विहित केलेल्या विद्यार्थी संख्येची बॅच (गट) अनिवार्य राहील.

५ व्याख्याने/प्रात्यक्षिके/टयुटोरियल (पाठनिर्देशन), प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) याकरीता नमूद असणा-या तासिका शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार असणे आवश्यक आहे.

६ महाविद्यालयास अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या पदांनुसार शासनाच्या प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार विहित प्राधिकरणामार्फत आरक्षण बिंदू नामावली प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

७ पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थीसंख्येत घट झाल्यास किंवा अन्य कारणास्तव अनुदानित विभागातील कार्यभार कमी झाल्यास अनुज्ञेय पदसंख्या कमी करण्यात येईल.

८ .अनुज्ञेय पदानुसार शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार शासनाच्या पुर्वपरवानगी शिवाय पदभरती करण्यात येवू नये. अशा अनुज्ञेय पदावरील नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनुदान निर्धारणात सदर बाब अमान्य करण्यात येईल. अनियमित नियुक्तीची जबाबदारी संबंधीत व्यवस्थापन व महाविद्यालय यांची राहील.

९ महाविद्यालयाच्या अनुदान पात्र कार्यभारावर आधारीत पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. अनुज्ञेय पदांवरील पदभरतीसाठी स्वतंत्रपणे शासनाच्या प्रचलित धोरण व कार्यपध्दतीनुसार प्रस्ताव सादर करुन नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.

Dalal

सहसंचालक, उच्चशिक्षण

नागपूर विभाग, नागपूर